बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक— 5/स0 विविध (रिबेट)— 02/2017 /पटना, दिनांक—

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वारा:— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः— वित्तीय वर्ष 2018—19 के अन्तर्गत बिहार राज्य स्थित खादी संस्थाओं/समितियों द्वारा उत्पादित खादी वस्त्रों एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी गई छूट (रिबेट) की प्रतिपूर्ति हेतु कुल राशि रू0— 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रूपये) मात्र स्वीकृत करने के संबंध में।

आदेशः— स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017—18 के अन्तर्गत बिहार राज्य स्थित खादी संस्थाओं/समितियों द्वारा उत्पादित खादी वस्त्रों पर वास्तविक उत्पादन का 10 प्रतिशत छुट (रिबेट) के रूप में देने हेतु कुल राशि रू0— 1,00,00,000.00 (**एक करोड़ रूपये**) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—105—खादी ग्रामोद्योग, उप शीर्ष—0101, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान, विपत्र कोड— 23—2851001050101, विषय शीर्ष—0101.33.01 सब्सिडी मद से विकलित होगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018—19 में यथेष्ट बजट उपबंधित है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से BTC 42 पर राशि की एक मुश्त निकासी कर RTGS/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पटना को उपलब्ध करायेंगे। वित्त विभागीय पत्रांक—8244 दिनांक—02.08.10 एवं 500 दिनांक—18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्कीम के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। स्कीम के व्यय से सम्बन्धित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जाँचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं ह०), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

5. स्वीकृत्यादेश में प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष 2018—19 के समय सीमा में ही व्यय की जानी है। निर्धारित समय सीमा के अन्दर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग, पटना द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए विहित प्रपत्र में बी0टी0सी0 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजते हुए विभाग को उपलब्ध कराएगें।

D/: 107sanlekh s.

6. इस स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या– 5/स0 विविध (रिबेट)– 02/2017 के पृष्ठ–24/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त की गई है।

7. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0(2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक–17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक– 2938 वि (2) दिनांक–08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5/स0 विविध (रिबेट)– 02/2017 /पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5/स0 विविध (रिबेट)– 02/2017 /पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– उप उद्योग निदेशक (लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5/स0 विविध (रिबेट)– 02/2017 /पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5/स0 विविध (रिबेट)– 02/2017 5396 /पटना, दिनांक– 30-11-18
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग/प्रशाखा–01 (स०), उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग निदेशालय को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
30/11

D/: 108sanlekh s.